

प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूप:-

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम:- द्वितीय वृत्त, मेरठ

परिषद दिवस के आयोजन का दिनांक:-25.04.2016

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय-(तत्काल/7 दिन/ 15 दिन)	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री सुखबीर सिंह एल-1523, शास्त्रीनगर, मेरठ (9412104323)	वसुन्धरा गाज़ियाबाद में शिखर एनक्लेव में टाईप-1 फ्लैट संख्या-डी-203 सैक्टर-15 में भवन का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति कार्यालय, गाज़ियाबाद के पत्रांक 5940 दिनांक 29.4.16 द्वारा आवेदक को बिन्दुवार निम्नानुसार सूचित किया गया है:- 1. आपके पेंशन एरियर की धनराशि भवन मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाना सम्भव नहीं हैं। मांग पत्र के अनुसार भुगतान करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के पत्र संख्या-1773 दिनांक 14.3.2016 से पूर्व में भी सूचित किया गया है। 2. सम्भव नहीं हैं। किसी भी धनराशि की अदेयता की स्थिति में मांग पत्र संख्या-1267 दिनांक 27.6.2011 की शर्तों के अनुसार ब्याज देय है। 3. सम्भव नहीं हैं। पंजीकरण पुस्तिका में निहित नियम व शर्तों के अनुसार ही कार्यवाही सम्भव हैं। 4. सम्भव नहीं हैं। शेष बिन्दु -2के अनुसार है।	निस्तारित

2.	श्रीमती रंजना गुप्ता एल-1516, शास्त्रीनगर, मेरठ (9412552102)	शास्त्रीनगर योजना संख्या-03 मेरठ में स्थित भवन संख्या एल-1514 में हो रहे निर्माणस के सन्दर्भ में।		15 दिन	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-5 मेरठ के पत्रांक 450/ जी-15/ 26 दिनांक 28.4.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि दिनांक 25.4.16 को सम्बन्धित अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया एवं आपके सामने ही भवन सं0-एल-1514 के आवंटी को मौके पर बुलाकर आप दोनों में समझौता करा दिया गया है। सूचित करना है कि कॉमन वॉल दोनों आवंटियों की आधी-आधी होती है, जिसका रख-रखाव दोनों आवंटियों द्वारा समान रूप से किय जाना है। अतः प्रकरण निस्तारित है।	निस्तारित
3.	श्री भीकम सिंह राणा हरवंश विहार, सरायकाजी गढ़ रोड, मेरठ। (9027050752)	खसरा सं0-47 कमालपुर के भुगतान के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 1027 दिनांक 28.5.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि प्रश्नगत खसरे की देय वांछित धनराशि का भुगतान आपको दिनांक 19.5.16 को किया जा चुका है। अतः आपका प्रार्थना पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
4.	सरदार मंगल सिंह गिल 58/3 जागृति विहार, मेरठ (8439629322)	योजना सं0-11 जागृति विहार विस्तार, मेरठ में गुरुद्वारे हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिकासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-8, मेरठ के पत्रांक 701/ जी-19/ 03 दिनांक 28.4.16 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि आपके पूर्व में दिये गये प्रार्थना-पत्र के क्रम में उप-आवास आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश सं0-346/ दिनांक 26.4.2006 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया था कि संस्थागत भूखण्डों मे धार्मिक गतिविधियों	निस्तारित

					<p>अनुमन्य है, मात्र गुरुद्वारे हेतु भूखण्ड चिन्हित करना उपर्युक्त नहीं होगा ओर न ही किसी धर्म विशेष हेतु भूखण्ड सृजित करने का नियम है। परिषद मुख्यालय से प्राप्त उक्त निर्देशों से आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया जा चुका है तथा पुनः अवगत कराना है कि भविष्य में संस्थागत भूखण्डों की नीलामी होने पर आप यथाविधि आवेदन करते हुए नीलामी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वर्तमान में मुख्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों के आलोक में आपके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। आपका प्रार्थना पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है।</p>	
--	--	--	--	--	---	--